भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **3033**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

यूरिया राजसहायता योजना

3033. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विशेषकर खरीफ के मौसम के लिए यूरिया पर राजसहायता देने की कोई योजना है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): भारत सरकार की यूरिया सब्सिडी स्कीम रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए लागू है। यह स्कीम बजटीय सहायता के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है। यूरिया सब्सिडी स्कीम के तीन घटक अर्थात् स्वदेशी यूरिया, आयातित यूरिया और एक समान भाड़ा सब्सिडी हैं। स्वदेशी यूरिया उत्पादन के लिए यूरिया इकाइयों को स्वदेशी यूरिया सब्सिडी दी जाती है। आयातित यूरिया सब्सिडी देश में यूरिया की आकलित मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए किए गए आयातों के लिए निर्देशित की जाती है। दोनों घटकों में एक समान भाड़ा सब्सिडी नीति के अंतर्गत देश भर में यूरिया के संचलन के लिए भाड़ा सब्सिडी भी शामिल है।

यूरिया सब्सिडी योजना के अंतर्गत, वर्तमान में किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किग्रा बोरी का एमआरपी 242 रुपए प्रति बोरी है (नीम लेपन के मूल्य और यथा लागू कर को छोड़कर)। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। वर्तमान यूरिया नीतियां, जिनके द्वारा सब्सिडी का भुगतान किया जा रहा है, नई मूल्य निर्धारण स्कीम (एनपीएस)-III, संशोधित एनपीएस-III, नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 और नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 हैं। तदनुसार, देश के सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है और इस प्रकार वे इस स्कीम के लाभार्थी हैं।

****